भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *20
उत्तर देने की तारीख 03.02.2025

कलाओं का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों का कल्याण और विकास

***20. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु की पारंपरिक कला, संस्कृति, नृत्य, नाटक और गीतों आदि कलाओं का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के कल्याण और विकास के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त राज्य के ऐसे कलाकारों के कल्याण के लिए कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत और जारी की गई, और
(ग) विगत दस वर्षों के दौरान मंत्रालय के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों और अन्य योजनाओं के तहत कुल कितने कलाकार विदेश गए हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'कलाओं का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों का कल्याण और विकास' के संबंध में दिनांक 3 फरवरी, 2025 को श्री डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *20 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी, हां। संस्कृति मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों का संचालन करता है, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में पारंपरिक कला, नृत्य, नाटक, संगीत आदि सहित मंच कलाओं के संवर्धन और विकास के क्षेत्र में कार्यरत पात्र सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तिगत कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक-I पर दिया गया है।

(ख): इन केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत राज्यवार निधियां आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बजाय, अनुमोदित सांस्कृतिक संगठनों और व्यक्तिगत कलाकारों को वित्तीय सहायता सीधे जारी की जाती है। विगत दस वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तिगत कलाकारों को जारी की गई वर्षवार, स्कीम-वार निधियां अनुलग्नक-II पर दी गई है।

(ग): मंत्रालय की 'वैश्विक भागीदारी स्कीम' के अंतर्गत, विगत दस वर्षों के दौरान 2348 कलाकारों वाली 263 मंडलियों ने विदेशों में 'भारत महोत्सव' में भाग लिया है। इनमें से तमिलनाडु के 3 कलाकारों वाली 1 मंडली को रूस में आयोजित भारत महोत्सव (2018) में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु के 13 कलाकारों वाली 2 मंडलियों को चेक गणराज्य (2017) और स्पेन (2017) में आयोजित फ्रीडम-70 कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया था।

अनुलग्नक-I

'कलाओं का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों का कल्याण और विकास' के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *20 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

1. **गुरू-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)**

इस स्कीम का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अनुसार, रंगमंच क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता और संगीत एवं नृत्य क्षेत्र में 01 गुरू और अधिकतम 10 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है। कलाकारों की आयु के अनुरूप गुरु के लिए 15000/- रु. प्रतिमाह, शिष्य के लिए 2000-10000/- रुपए प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाती है।

2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता: इस स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

i. **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य पूरे देश में कला और संस्कृति के संवर्धन में शामिल राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों का संवर्धन और उन्हें सहायता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के तहत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है जिसे विशेष परिस्थितियों में 5.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

ii. **सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपए का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष परिस्थितियों में 20 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iii. **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए तक होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iv. **बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00 लाख रुपए प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

v. **स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपए तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

vi. स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है, जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवंबर, 2015 से देश में संस्कृति मंत्रालय द्वारा चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत 38.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

3. टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम का उद्देश्य मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत), प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों, ग्रीन रुम आदि सुविधाओं और अवसंरचना युक्त सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थलों के सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों/निकायों, नगर निगमों, प्रतिष्ठित गैर-लाभ-अर्जक संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम घटक मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रबीन्द्र भवन, रंगशालाओं) आदि के जीर्णोद्धार, नवीकरण, विस्तार कार्य, परिवर्तन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी प्रदान करता है। सामान्यत: इस स्कीम घटक के अंतर्गत, किसी परियोजना के लिए अधिकतम 15 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय वित्तीय सहायता, कुल अनुमोदित लागत का 90 प्रतिशत होगी और कुल अनुमोदित परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार/पूर्वोत्तर परियोजनाओं हेतु एनजीओ या संबंधित संगठन द्वारा वहन किया जाएगा तथा एनईआर को छोड़कर, केन्द्रीय सहायता और राज्य के हिस्से (समतुल्य हिस्सा) का अनुपात 60:40 है।

4. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम : इस स्कीम में निम्नलिखित तीन (03) घटक हैं।

i. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग (कनिष्ठ) और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग (वरिष्ठ) के उत्कृष्ट व्यक्तियों को प्रत्येक बैच वर्ष में सांस्कृतिक शोध के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए क्रमश: 10,000/- रुपये प्रतिमाह और 20,000/- रुपये प्रतिमाह की 400 तक अध्येतावृत्तियां (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

ii विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

प्रत्येक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत; भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूक अभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों के लिए 5000/- रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

iii. सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस स्कीम घटक का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और देश में मान्यताप्राप्त अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं को सुदृढ़ एवं जीवंत बनाना है ताकि विद्वानों/शिक्षाविदों को प्रोत्साहित करते हुए इन संस्थाओं के साथ पारस्परिक हित की परियोजनाओं पर वे स्वयं को संबद्ध कर सकें। इसके अंतर्गत अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए कुल 15 अध्येतावृत्तियां (80,000/-रुपये प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) और कुल 25 छात्रवृत्तियां (50,000/-रु. प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति चार (04) बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

5. **वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के अनुभवी कलाकारों एवं विद्वानों जिनकी वार्षिक आय 72000/- रुपये से अधिक न हो और उन्होंने कला, साहित्य आदि के अपने विशेष क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, को प्रति माह अधिकतम 6000/- रुपये तक की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात वित्तीय सहायता उनके/उनकी पति/पत्नी को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

अनुलग्नक-II

'कलाओं का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों का कल्याण और विकास' के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *20 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	गुरू-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)	83.28	67.32	31.74	59.76	14.40	26.59	49.54	17.28	108.6	143.02
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)	37.00	31.00	35.56	41.37	38.03	14.58	46.15	34.84	18.87	10.73
3.	बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता					5.00	0	5	5	5.00	10.00
4.	टैगोर सांस्कृतिक परिसर (टीसीसी)	-	-	-	-	-	-	596.43	-	-	
5.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान	0	0	0	10	15	0	0	0	0	0
6.	संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम	5.40	12.60	34.2	25.2	15.00	6.00	13.80	45.60	24.60	15.00
7.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम	0.90	1.50	6.90	3.00	7.50	6.30	7.80	11.10	5.40	15.30
8.	सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	-	7.80	10.45	-	9.05	-	9.05	-	-	-
9.	वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता	-	-	-	-	19.58	9.92	0.87	15.49	14.6	46.96

****